संख्या-53 /2019/725/22-4-2019-48(7)/17

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक- 22 अक्टूबर, 2019

विषय- प्रदेश के 15 कारागारों में पाकशालाओं के आधुनिकीकरण किये जाने के लिए मशीनों तथा उपकरणों की स्थापना किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-24736/आधु-1/पाकशाला/2019, दिनांक-09 अगस्त, 2019 एवं शासनादेश संख्या-148/2018/1343/22-4-18-48(7)/17 दिनांक-27.11.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु उक्त शासनादेश द्वारा जारी स्वीकृति तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल प्रदेश की 15 कारागारों की पाकशालाओं का आधुनिकीकरण किए जाने के लिए उपकरणों तथा मशीनों की स्थापना किए जाने हेतु मैसर्स अंकुर ट्रेडर्स, 22 जी0 बी0 मार्ग, लाटूस रोड, लखनऊ के पक्ष में रूपये 2,54,90,000/- की सीमा में तथा मैसर्स भारती रेफ्रिजरेशन वर्क्स के पक्ष में रू0 1,52,89,000/- की सीमा तक उपकरणों/मशीनों की आपूर्ति, स्थापना तथा कमीशनिंग के समस्त कार्य कराये जाने हेतु क्रयानुमोदन एवं रू0 407.79 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए शतप्रतिशत धनराशि रू0 4,07,79,000/- (रूपया चार करोड़ सात लाख उन्नियासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(क) उक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत नियमानुसार समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए किया जायेगा।

(ख) प्रश्नगत उपकरणों का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं के क्रय हेतु निर्गत सुसंगत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

(ग) उक्त उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं एवं सम्बन्धित संस्था का होगा।

(घ) स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(ड़) धनराशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है उसका उपयोग उसी पर किया जायेगा। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो वह राजकोष में जमा की जायेगी।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत पूंजी लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-21-कारागारों के पाकशालाओं का आधुनिकीकरण-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र मद" में उपलब्ध बजट प्राविधान से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक- 22.03.2019 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-53/2019/725(1)/22-4-2019-तद्दिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in